हादसे में किशोरी की मौत

उदयपुर,(कासं)। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से घायल किशोरी की उपचार के दौरान मौत हो गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल्पना कुमारी पुत्री शांतिलाल मीणा निवासी बारा भागला घाट टीडी हॉलढेलाणा कलयाणपुर की ऋषभदेव थाना क्षेत्र में बाईक की टक्कर से घायल होने से उपचार के दौरान मौत हो गई। कल्पना ढेलाणा कल्याणपुर में मामा के वहां रहते हुए पढाई करती थी। वह बुधवार को पीपली अ आई थी। जहां से बस में बैठ कर गांव जाने के लिए गाड़ी की प्रतिक्षा में काका बाबूलाल के साथ खड़ी थी। इस दौरान आए बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपालिका, नाथद्वारा

क्रमांक./न.पा.नाथ/भूमि/90 क/25/16723 दिनांक: 15.1.26

-: आपत्ती - सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार श्री राजकुमार पिता श्री शांतिलाल बापना निवासी उदयपुर, श्री शौकत हुसैन पिता श्री अब्दुल लतीफ निवासी उदयपुर, श्री राकेश्वर पिता श्री रामकृष्ण पुरोहित निवासी उदयपुर, श्री अशोक कुमार पिता श्री बाबुलाल गुर्जर निवासी नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.) की राजस्व ग्राम बागोल के आराजी नं. 1651 से 1655, 1659 से 1662, 1671 से 1675, 1679 से 1682, 2184/1682, 1683, से 1685 कुल किता-23 कुल रकबा 14-16-10 बीघा भूमि जो प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा के आदेश क्रमांक प्रा.अ./न.पा.नाथ./भूमि. रूपा/90ए/12/1577 दिनांक 31.05.2013 द्वारा धारा 90 के के तहत् बिलानाम किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ नगरपालिका नाथद्वारा की स्वीकृति होकर राजस्व रेकार्ड में नगरपालिका नाथद्वारा के नाम दर्ज हो चुकी है, उक्त भूमि क्षेत्रफल 14-16-10 बीघा में से अनुमोदित योजना अनुसार पृथक-पृथक भूमि के भूखण्ड खातेदारी रेकार्ड/रजिस्ट्री/खातेदार द्वारा निम्नांकित व्यक्तिों के नाम जरिये आवंटन-पत्र से कब्जा देकर आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है :-

क्र. सं.	प्रोविजनल पट्टाधारी का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	श्री जितेन्द्र कुमार माली पिता श्री रघुनाथ प्रसाद	29, 35, 36, 40, 70, 81, 82
2.	श्री संजय सिंह पिता श्री अमर सिंह चदाणा	37
3.	श्री प्रमोद कुमार सोनी पिता शोभा लाल सोनी	41, 100, 148
4.	श्री मनोज पिता श्री बंशीलाल मेघवाल	52, 63
5.	श्री अशोक गुर्जर पिता श्री बाबुलाल गुर्जर	71, 98
6.	श्रीमती प्रेमी देवी पत्नी श्री अमर सिंह	72
7.	श्री बंशीलाल मेघवाल पिता भगवानलाल मेघवाल	83
8.	श्रीमती शीतल मेघवाल पत्नी श्री मनोज मेघवाल	102
9.	श्री शौकत हुसैन पिता अब्दुल लतीफ	114
10.	श्री हरिसिंह पिता श्री शिवसिंह	104
11.	श्री नितेश गुर्जर पिता श्री ब्रजेन्द्र गुर्जर	123

अत: इस संबंध में किसी हितकारी को आपत्ती हो तो नोटिस जारी तिथि के सात दिवस में लिखित में मय सबूत दस्तावेज पालिका में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद कोई आपत्ती मान्य नहीं होगी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगरपालिका, नाथद्वारा

बेणेश्वर मेले की तैयारियों को लेकर ली बैठक

डूंगरपुर, (निसं)। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश चंद्र धाकड की अध्यक्षता एवं आसपुर विधायक उमेश डामोर की मौजूदगी में बेणेश्वर मेला आयोजन को लेकर गुरुवार को बेणेश्वर धाम स्थल साबला (मेला आयोजन स्थल) पर बैठक आयोजित की गई।

बेणेश्वर धाम स्थल साबला (मेला आयोजन स्थल) पर आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश चंद्र धाकड ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बेणेश्वर मेला आयोजन स्थल पर समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर विभाग वार दायित्व निर्धारण करते हुए दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में 29 जनवरी से 1 जनवरी तक आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों, मुख्य मेला, पुलिया पर बैरिकेटिंग, घाटों की साफ-सफाई, झाडियों की कटिंग, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, प्रभारी नियुक्त करने, कचरा पात्र लगवाने, मोबाइल शौचालय, श्रद्धालुओं के लिए परिवहन, अतिरिक्त बसें, पार्किंग, निजी पार्किंग, स्वच्छता, नियंत्रण कक्ष, गोताखोर, प्रचार-प्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल एथलेटिक्स सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर धाकड ने कहा कि सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वयं भी सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले मेलार्थियों एवं श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए, ताकि आयोजन सुव्यवस्थित एवं सफल हो। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड, टीएडी उपायुक्त डॉ. सत्य प्रकाश कसवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला, उपखंड अधिकारी अभिलाषा तहसीलदार योगेन्द्र वैष्णव, विकास अधिकारी साबला वालसिंह राणा, मंदिर ट्रस्ट से बलवंत सिंह सहित पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

शिविर संपन्न

उदयपुर, (कासं)। चंदेरिया लॉजिस्टिक्स टीम द्वारा सडक सुरक्षा माह के तहत हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया इकाई में 8वें निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। सडक सुरक्षा को बढावा देने और ड्राइवरों के बेहतर स्वास्थ्य को समर्पित इस पहल के माध्यम से अब तक कुल 872 ड्राइवरों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस विशेष शिविर को तीन दिनों तक चलाया गया ताकि अधिक से अधिक ड्राइवर इसका लाभ उठा सकें। इस दौरान कुल 28० ड्राइवरों के आँखों की आधुनिक उपकरणों से जाँच की गई। जाँच के पश्चात 11० ड्राइवरों को मौके पर ही चश्मे वितरित किए गए, जबकि 18 ड्राइवरों को उनके विशेष प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर चश्मे कूरियर द्वारा भेजे गए।

इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य ड्राइवरों की दृष्टि में सुधार करना है। सडक सुरक्षा के लिए स्पष्ट दृष्टि सबसे बुनियादी आवश्यकता है।

ईपी मशीन की शुरुआत

उदयपुर,(कासं)। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊँचाइयों तक ले जाते हुए गीतांजली हॉस्पिटल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल के हृदय रोग विभाग में अत्याधुनिक ईपी (इलेक्ट्रोफीसीयोलॉजी) एवं आर एफ ए (आरएफए) मशीन की स्थापना की गई है, जिससे हृदय की धडकन संबंधी जटिल बीमारियों कासटीक और उपचार संभव हो सकेगा। मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच पर कार्यरत गीतांजली हॉस्पिटल में यह तकनीक कार्डियोलॉजी, कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी, विभागों के समन्वय से मरीजों को बेहतर, सुरक्षित औरइलाज प्रदान करेगी। यह सुविधा हार्ट रिदम डिसऑर्डर (एरिदमिया) से पीडति मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। हृदय रोग विभागाध्यक्ष व विशेषज्ञ डॉ रमेश पटेल के अनुसार, ईपी स्टडी मशीन से हृदय की विद्युत गतिविधियों की गहराई से जांच कर बीमारी की जड तक पहुँचना संभव होगा।

कुंवारिया में पंचायत समिति बनाने की मांग

राजसमंद, (निसं)। कुंवारिया कस्बे के चौपाटी क्षेत्र में पंचायत समिति बनाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं व प्रबुद्धजनों की आयोजित बैठक में पुरजोर तरीके से कुंवारिया में पंचायत समिति बनाने की मांग को रखा गया तथा जिस प्रकार से कुंवारिया में पंचायत समिति के लिए आवश्यक पात्रता रखने के बाद भी उपेक्षा की जा रही है उस पर कार्यकर्ताओं ने कडी नाराजगी व्यक्त की है। कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से आगामी प्रदेश के बजट में कुंवारिया को पंचायत समिति बनाने की घोषणा कराने की मांग की है।

आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजसमंद जिले में गत दिनों अन्य तहसील मुख्यालय को भी पंचायत समिति का दर्जा दिया गया ऐसे में कुंवारिया भी पंचायत समिति बननी चाहिए थी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुंवारिया कस्बे में तहसील मुख्यालय स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, क्षेत्र के बीस गांव से भी अधिक संख्या में गांवों से सीधी कनेक्टिविटी होने के कारण दो दर्जन से अधिक गांव के केंद्र में स्थित है। कुंवारिया कस्बे में पुलिस थाना, तहसील मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, महाविद्यालय सहित अन्य समस्त प्रकार की सुविधा उपलब्ध है जो कि किसी पंचायत समिति के लिए आवश्यक होती है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश के बजट में कुंवारिया में पंचायत समिति का गठन की घोषणा कर दिया जाए तो कुंवारिया मेला परिसर में पर्याप्त भवन बने हुए हैं ऐसे में पंचायत समिति के लिए तुरंत भवन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजसमंद पंचायत समिति में वर्तमान में 45 ग्राम पंचायतें है ऐसे में इतनी बडी पंचायत समिति का संचालन में मुश्किल होगी। राजसमंद पंचायत समिति की कुछ ग्राम पंचायतों को लेकर कुंवारिया तहसील मुख्यालय पर पंचायत समिति का गठन कर दिया जाए तो आमजन के लिए काफी अधिक राहत मिलेगी।

कार्यकर्ताओं ने आगामी प्रदेश के बजट में कुंवारिया में पंचायत समिति बनाने की घोषणा कराने की राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला प्रभारी उप मुख्यमंत्री प्रेमचन्द्र बैरवा व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मांग की है। इस अवसर पर कुंवारिया कस्बे के अधिवक्ता महेश सेन, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मुकेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता अमरसिंह डोडिया, दिनेश चंद्र सालवी, विकास प्रजापत, दिलीप जीनगर, मनोहरदास वैष्णव, गिरिराज काबरा, राम प्रसाद सोमानी आदि मौजूद रहे।

राजस्थान विद्यापीठ व माल्टा की ई-एसेन्सिया के बीच एमओयू

उदयपुर, (कासं)। उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर से जोडने की दिशा में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर तथा यूरोप के देश माल्टा स्थित एसेन्सिया संस्थान के डिजिटल शिक्षण परिसर ई-एसेन्सिया के बीच अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन हुआ है।

कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने बताया कि यह सहयोग विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा से जोडने की दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत राजस्थान विद्यापीठ के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को ई-एसेन्सिया द्वारा संचालित विविध ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रमों से जुडने का अवसर मिलेगा। इन कार्यक्रमों में व्यावसायिक अध्ययन, नेतृत्व विकास तथा तकनीकी कौशल से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो वर्तमान वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए है। प्रो. सारंगदेवोत ने बताया, समझौते के अंतर्गत शिक्षकों के लिए विशेष शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का भी प्रावधान है। इससे शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुभव प्राप्त होगा तथा शोध और नवाचार को बढावा मिलेगा।कार्य के समन्वयक डॉ. चंद्रेश छ्तलानी ने बताया कि ई-एसेन्सिया द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक योग्यताएँ यूरोपीय शैक्षणिक मानकों के अनुरूप हैं तथा माल्टा की राष्ट्रीय योग्यता प्रणाली से मान्यता प्राप्त हैं। विशेष रूप से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र अत्याधुनिक डिजिटल सुरक्षा प्रणाली से सुरक्षित होंगे।

नकदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में सूने मकान का चोर ताला तोड़ कर नकदी व स्कूटी चुरा ले गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डबोक थानाक्षैत्र गुडली गांव निवासी रंजन सदा उर्फ बलराम पुत्र अर्जुन सदा निवासी डीहा सादपुर साहेबपुर कमाल बैगुसराय बिहार ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

कार्यालय नगर परिषद् बांसवाड़ा (राज.)

फोन : 02962-243714, 247201, फैक्स : 02962-243714, Email:palika.bsw@gmail.com

क्रमांक: प.12(.)/न.प.बा./राजस्व/2025/7075-77 दिनांक : 15.01.2026

उजरदारी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स इण्डस टावर्स लिमिटेड द्वारा नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में निम्न स्थान पर ग्राउण्ड बेस्ड टॉवर (जी.बी.एम.) एण्टिना लगाने हेतु हेतु कार्यालय नगर परिषद् में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	टॉवर/एण्टिना प्रकार	टॉवर/एण्टिना लगाने वाली कम्पनी	टॉवर/एण्टिना लगाने का स्थल
1	जी.बी.एम. (IN-3376211)	मैसर्स इण्डस टॉवर लिमिटेड	रोड साईट रोडवेज डिपो के बाहर, नया बस स्टैण्ड नियर मां आदिशक्ति दुर्गेश्वरी शक्तिपीठ नई आबादी, बांसवाडा

अत: उक्त स्थान पर मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु किसी संस्था, व्यक्ति या अन्य किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो आपत्ति कारण एवं दस्तावेजों सहित आपत्ति 07 दिवस में परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करें बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी।

आयुक्त - नगर परिषद्, बांसवाड़ा

दो आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर,(कासं)। पुलिस ने महिला का पीछा करने एवं पहचान छुपा कर विश्वास में लेकर दोस्ती के लिए परेशान करने व आधार कार्ड तथा सरकारी दस्तावेज में कूटरचना करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पीडिता ने सविना पुलिस थाने में आरोपी शौकीन मोहम्मद निवासी फारूखेआजम कॉलोनी मल्लातलाई अंबामाता हाल छोटी कुंजरवाड़ी मगरी वाला घर बरकत कॉलोनी सवीना तथा महुवाड़ा धावडिया जावरमाइंस सलूम्बर के खिलाफ रिपोर्ट दी कि आरोपी शिवम मीणा बन फर्जी आधारकार्ड बना कर पीडिता को विश्वास में लेकर दोस्ती करने व आरोपी की वास्तविकता के बारे में पीडिता को जानकारी होने पर उसके द्वारा संपर्क नहीं रखने के बाद भी उसका पीछा करने एवं परिजनों को धमकाने की रिपोर्ट दी थी। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर शौकीन व साथी मुजफ्फर नजर उर्फ बंटी उर्फ बसीम उर्फ टोपा निवासी गोसिया कॉलोनी किशनपोल सूरजपोल को दबोचा।

शिविर में 193 यूनिट रक्तदान

उदयपुर,(कासं)। श्री अन्नपूर्णा माताजी धर्मोत्सव समारोह समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री मारू लोहार समाज के नोहरे में चतुर्थ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया।

समिति सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक कुन्दन चौहान ने बताया कि प्रात: 8 से 2 बजे तक चले शिविर में 193 यूनिट रक्तदान हुआ एवम सभी रक्तदाताओं एवं मातृशक्ति परिवार सहित उत्साह से भाग लियां

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगपालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द

सं.16603 **लोक सूचना** दिनांक: 13.1.2026

श्री अम्बालाल भील पिता श्री रादूलाल निवासी ओड भील बस्ती, उपली ओडन, नाथद्वारा तहसील-नाथद्वारा जिला-राजसमन्द द्वाराइस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात् -

क्र. सं.	तहसील का नाम जिले सहित	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1.	नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	नाथुवास	1031, 1032, 1033	रकबा 0.1770 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक13.1.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगरपालिका मावली, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक: न.पा.मा./भूमि-तामीर/2025-26/690 दिनांक :- 13.1.26

-:: उजरदारी सूचना :: -

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा उपविभाजन/नामानतरण/भवन निर्माण स्वीकृती हेतु नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को माफिक नक्शा उपविभाजन, नामान्तरण, भवन निर्माण स्वीकृती दिये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो मय दस्तावेजों प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पड़ौस की स्थिति			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	20/2025-26 (उपविभाजन)	श्रीमती चन्दरबाला पत्नी श्री गणपतलाल कोठारी निवासी मावली जिला उदयपुर (राज.) योजना-पॉस्ट आफिस के सामने वाली गली मावली खसरा संख्या 4364/778 में से भू.सNIL क्षैत्रफल 1800 वर्गफिट	आम रास्ता 12 फिट	जगन्नाथ लावटी का मकान	नरेश गर्ग का भूखण्ड	ओम प्रकाश वसीटा का मकान
2.	27/2025-26 (नामान्तरण)	श्रीमती चन्दरबाला पत्नी श्री गणपतलाल कोठारी निवासी मावली जिला उदयपुर (राज.) योजना-पॉस्ट आफिस के सामने वाली गली मावली खसरा संख्या 4364/778 में से भू.सNIL क्षैत्रफल 1800 वर्गफिट	आम रास्ता 12 फिट	जगन्नाथ लावटी का मकान	नरेश गर्ग का भूखण्ड	ओम प्रकाश वसीटा का मकान
3.	25/2025-26 (भवन निर्माण स्वीकृती)	श्रीमती चन्दरबाला पत्नी श्री गणपतलाल कोठारी निवासी मावली जिला उदयपुर (राज.) योजना-पॉस्ट आफिस के सामने वाली गली मावली खसरा संख्या 4364/778 में से भू.सNIL क्षैत्रफल 1800 वर्गफिट	आम रास्ता 12 फिट	जगन्नाथ लावटी का मकान	नरेश गर्ग का भूखण्ड	ओम प्रकाश वसीटा का मकान

नोट:- प्रार्थी द्वारा उपविभाजन, नामान्तरण, भवन निर्माण स्वीकृती चाही गयी है। उक्त भुखण्ड पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उपविभाजन पश्चात् नामान्तरण एवं भवन निर्माण स्वीकृती की कार्यवाही भी कर दी जावेगी।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, मावली

कार्यालय नगरपरिषद् डूँगरपुर (राज.)

फोन (का) :– 02964–232459, फैक्स :– 02964–233690, Email Id:- npd.dpr@gmail.com

क्रमांक :– एफ/भूमि/न.प.डूं./2025–26/4615 दिनांक :– 12.01.2026

भूखण्डों की ई–नीलामी सूचना – 23

भूखण्डों की ई–निलामी सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् डूँगरपुर में परिषद की अनुमोदित मालपुर आवासीय योजना में दर्शित भू–खण्ड व साईज अनुसार निम्नांकित दिवसों में विक्रय किये जायेगे। जिसका ब्यौरा एवं नीलामी की शर्ते कार्य दिवस में कार्यालय में एवं पोर्टल पर ऑनलाईन देखी जा सकती है। उक्त निलामी निर्धारित दिनांक प्रातः 09:00 बजे से ऑनलाईन पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.ines ई–ऑक्शन एप्लीकेशन (E-Auction Application) के माध्यम से राजस्थान नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी से आवासीय भू–खण्ड विक्रय हेतु की जायेगीं। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित दिनांक तक अमानत राशि ऑनलाईन जमा कर बोली में भाग ले सकते है। भूखण्डों की बोली ऑनलाईन निर्धारित दिनांक को प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ की जाकर अंतिम बोली समाप्ति तक रखी गई है। भूखण्ड जिस स्थान व जिस स्थिति में होंगे उसी स्थिति में विक्रय किये जायेंगे। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	न्यूनतम निर्धारित दर प्रति वर्गमीटर	तदाद भूखण्डों की संख्या	अमानत राशि (प्रति भूखण्ड)	बोली प्रक्रिया/आवेदन शुल्क	नीलामी तिथि
1.	मालपुर आवासीय योजना	134 से 148 (भूखण्ड सं. 134 कॉर्नर)	आवासीय	9X18 = 162 वर्गमीटर	21000	15	68040	1000/–	31.01.2026 से 04.02.2026 तक
2.	मालपुर आवासीय योजना	164 से 178 (भूखण्ड नं. 178 कॉर्नर)	आवासीय	9X18 = 162 वर्गमीटर	21000	15	68040	1000/–	

ई–निलामी सम्बन्धित समय व दिनांक का विवरण :–
ई निलामी से सम्बन्धित विवरण व शर्त वेबसाईट http://sso.rajasthan.gov.in ई–ऑक्शन एप्लीकेशन (E-Auction Application) के माध्यम से देखी जा सकती है।

नीलामी दिनांक 31.01.2026 से 04.02.2026 का विवरण

विवरण	दिनांक व समय
ई–नीलामी आवेदन डाउनलोड करने की तारीख	14.01.2026 प्रातः 09:00 बजे से 30.01.2026 सायं 06:00 बजे तक
ई–नीलामी में भाग लेने हेतु राशि जमा कराने की तारीख	14.01.2026 प्रातः 09:00 बजे से 30.01.2026 सायं 06:00 बजे तक
ई–नीलामी की तारीख	31.01.2026 को प्रातः 09:00 बजे से 04.02.2026 सायं 6:00 बजे तक

नीलामी शर्ते :–

1. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को प्रत्येक भूखण्ड हेतु निर्धारित अमानत पृथक–पृथक जमा होने पर बोली में भाग ले सकेगे। उक्त धरोहर (अमानत) राशि ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा।
2. यह भूमि विक्रय राज. नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 नियम से संशोधन 02 को 2010 व उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अन्तर्गत की जा रही है।
3. निलामी बोली में कॉर्नर प्लाट पर अन्तिम नीलामी की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी।
4. जिस व्यक्ति के नाम अमानत राशि की रसीद कटेगी परिषद् द्वारा उसी व्यक्ति के नाम का पट्टा जारी किया जावेगा। नाम में किसी प्रकार का संशोधन नही किया जावेगा।
5. उच्चतम बोली लगाने वाले को भूखण्ड नीलामी की निर्णय दिनांक से तीन कार्य दिवस के भीतर अपनी बोली का 9 प्रतिशत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा
6. सफल बोलीदाता द्वारा बोली की रकम 35 प्रतिशत भाग नीलामी दिनांक से 120 दिवस के अन्तर्गत जमा कराना आवश्यक होगा। तथा शेष 50 प्रतिशत राशि निलामी दिनांक से 180 दिवस के अन्तर्गत जमा करना आवश्यक होगा। असफल रहने पर बोली स्वीकार करने की तिथि से मूल राशि पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।
7. भूखण्ड 99 वर्ष लीज होल्ड पर अरबन सेटलमेन्ट ग्राउण्ड रेट के आधार पर विक्रय किया जावेगा जिसकी लीज राशि आवासीय होने पर 2.50 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक होने पर 5 प्रतिशत नियमनानुसार क्रेता द्वारा जमा करानी होगी।
8. लीज डीड शाश्वत लीज पत्र का विधिवत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा जिसकी स्टाम्प व नक्शा एवं रजिस्ट्री का व्यय भू–खण्ड केता का होगा।
9. बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सभापति एवं आयुक्त नगर परिषद डूँगरपुर के पास सुरक्षित रहेगा जिसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
10. 03 वर्ष की अवधि के अन्दर नियमों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकृत करवाकर केता को भवन निर्माण करवाना होगा। यदि 03 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करवाया गया तो जमा करायी गई सम्पूर्ण राशि को परिषद द्वारा जब्त कर लिया जावेगा तथा पालिका द्वारा राशि जब्त कर भूखण्ड को निरस्त कर अपने कब्जे मे ले लिया जायेगा तथा पुनः नीलाम कर दिया जावेगा।
11. भूमि के मानचित्र एवं शर्ते/प्रतिबन्ध व समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सूचना पट्ट पर देखी जा सकेगी।
12. उपरोक्त भूखण्डों का मौके पर क्षेत्रफल कम या ज्यादा होगा तो उसके आधार पर ही राशि जमा करानी होगी।
13. समयावधि घटाने–बढाने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. बोली बढाने की राशि कम से कम 200/– प्रति वर्गमीटर रहेगी। इससे कम बोली की राशि बढाने पर मान्य नहीं होगी।
15. नीलामी में भाग लेने का शुल्क 1000/– रू. नॉन रिफन्डेबल रहेगा।

राज.संवाद/सी/25/17639 आयुक्त

वीरभूमि एक्सप्रेस प पथराव, तीन यात्री घायल

उदयपुर (कासं)। उदयपुर-डूंगरपुर रेलखंड पर एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खडे हो गए हैं। जयसमंद व जावर माइंस रेलवे स्टेशन के बीच सरसिया फाटक के समीप चलती वीरभूमि एक्सप्रेस पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। अचानक हुई इस घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा.तफरी मच गई।

पथराव के दौरान ट्रेन के जनरल कोच के शीशे टूट गए और पत्थर कोच के भीतर आ गिरे। इस घटना में एक महिला सहित दो पुरुष यात्रियों को चोटें आईं। घायलों को रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने मौके पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया।घटना 13 जनवरी को शाम करीब 6.33 बजे उस समय हुई जब असावरा से इंदौर जा रही वीरभूमि एक्सप्रेस जयसमंद स्टेशन से आगे बढ रही थी। ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बताया कि अचानक कांच टूटने की आवाज के साथ पत्थर अंदर आए जिससे दहशत का माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंची और हालात संभाले। आरपीएफ उदयपुर द्वारा रेल अधिनियम की धारा 153 और 147 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो नाबालिगों को डिटेन किया गया जिन्हें बाद में बाल न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया है।

अवैध शराब से भरी कार जब्त

उदयपुर (कास)। ऊदयपुर के प्रतापनगर एवं डीएसटी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध शराब से भरी दो कार जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उपाधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी राजेन्द्रसिंह चारण एवं डीएसटी टीम के हेडकांस्टेबल अखिलेश्वर, हितेंद्र, कांस्टेबल जितेन्द्र एवं मुकेश चबरवाल मय टीम ने देबारी हाईवे पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार तडके भंवरसिंह पुत्र माधुसिंह निवासी अदवास जावरमाइंस सलूम्बर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से दो कार मय 17 कर्टन अवैध शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। पूछताछ में भंवरसिंह ने बताया कि शराब गुजरात बेचने के जाने की बात कही।